

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

GENERAL INFORMATION RELATING TO LEGISLATIVE AND OTHER MATTERS

No. 218

Friday Dated July 12th, 2002 / Ashada 21, 1924 (Saka)

Hon'ble Members are aware that as per the amended MLAs Salary and Allowance Act, travelling facility has been provided to them to the extent of Rs.35,000/- per financial year i.e. from 1st April to 31st March. This facility is available for undertaking journey within India by Indian Airlines, Indian Railways or any Government Road Transport. This facility is extendable also to the spouses of Members and children/parents who are solely dependent on them, residing with them and are having no source of income. The facility can be availed of by the Member and his/her spouse or dependents even if they undertake journey altogether separately.

Some of the Hon'ble Members who were issued Rail Travel Coupons are requested once again to return the used and unused coupon books. These are required to be returned by the Secretariat to the Railway Authorities to obtain refund thereof. Pending rendering of account of coupons supplied to them and return of the unused coupons, their travel claims, if made, will be kept pending

**S.K. SHARMA
SECRETARY**

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

संख्या-218 शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2002/ आषाढ़ 21, 1924 (शक)

माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि विधायकों के संशोधित वेतन एवं भत्ते अधिनियमों के अनुसार उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में (अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) रु0:35,000/- तक की यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा भारत में इंडियन एयर लाइन, भारतीय रेल या किसी अन्य सरकारी सड़क परिवहन से की गई यात्रा हेतु उपलब्ध है। माननीय सदस्यों के पत्नी/ पति एवं उन बच्चों/ माता-पिता हेतु भी यह सुविधा लागू है यदि वे पूर्णतः उन पर निर्भर हैं, उनके साथ रहते हैं तथा उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है। इस सुविधा को माननीय सदस्य और उनके पति/ पत्नी या आश्रितों द्वारा एक साथ या अलग अलग यात्रा के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

जिन माननीय सदस्यों को रेल यात्रा कूपन जारी किए गए थे, उनसे पुनः अनुरोध है कि वे अपने कूपन बुक वापस कर दें। सचिवालय द्वारा ये कूपन रेलवे प्राधिकरण को लौटाये जाने हैं ताकि रेल विभाग के पास इस प्रयोजन हेतु जमा कराई गई सचिवालय की राशि वापिस मिल सके। कूपनों की वापसी न किये जाने पर ऐसे सदस्यों के यात्रा दावों, यदि कोई किया गया है, को लंबित रखा जायेगा।

एस.के.शर्मा
सचिव